(133)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर कैंप–कोठी पेलेस उज्जैन

प्रकरण कमांक /14–15 निगरानी R. 2349-I/14

शब्बीर बैग पिता नूर बैग जाति–मुसलमान आयु लगभग 62 वर्ष धंधा–खेती निवासी–नगर शाजापुर कृषक ग्राम–बायडा पटवारी हल्का नंबर 41 तहसील व जिला– शाजापुर म.प्र.।

प्रार्थी

बनाम

(1) ईकबाल खॉ पिता इब्राहिम खॉ।

(2) रफीक अहमद पिता इब्राहिम खॉ

(3) अकील अहमद पिता इब्राहिम खॉ

समस्त जाति–मुसलमान समस्त धंधा–खेती, समस्त निवासीगण–नगर शाजापुर, कृषक ग्राम–दिल्लौद पटवारी हल्का नंबर 51 तहसील व जिला–शाजापुर म.प्र.।

(4) म.प्र. शासन द्वारा पटवारी ग्राम–बायडा।

विपक्षीगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.स. विरुद्ध आदेश माननीय अतिरिक्त तहसीलदार महोदय तहसील शाजापुर द्वारा अपने न्यायालय के सीमांकन प्रकरण कमांक 14–अ–12/13–14 में पारित आदेश दिनांक 26.06.2014 से असंतुष्ट होकर।

निरंतर ...2...

XXIX(a)-BR(H)-11

(१०)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2349-एक/14 **जिला** - शाजापुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/1/19	आवेदक की ओर से यह निगरानी अतिरिक्त तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-4-19 को कलेक्टर, जिला शाजापुर के समक्ष उपस्थित हों। (3) **प्रशासकीय सदस्य**	